

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक, आयुष, झारखण्ड, राँची,
संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

/स्वा०, राँची, दिनांक : 26.04.2023

विषय: स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- 101-आयुर्वेद- 31-आयुष निदेशालय एवं संयुक्त औषधालय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय हेतु कुल ₹ 6,66,47,500/- (छः करोड़ छियासठ लाख सैतालीस हजार पाँच सौ) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online आवंटन के विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र०	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ	101-आयुर्वेद- 31-आयुष निदेशालय एवं संयुक्त औषधालय	₹ 6,66,47,500/- (छः करोड़ छियासठ लाख सैतालीस हजार पाँच सौ))

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 तथा 1681/वि० दिनांक 10.06.2015 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होंगे (संलग्न विवरणी के अनुसार) एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन०एच०एम० से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(ध्रुव प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सतर्कता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. राशि के निकासी के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि वित्त विभागीय परिपत्रों के आलोक में दावे की जाँच कर ली गई है तथा अनुमान्यता के तहत राशि की निकासी वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए की जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

12. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निर्देशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।


13. आयुष निदेशालय, राँची द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT - Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT-Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।


यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।


14. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/चि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

15. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

- i) संबंधित निदेशक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर प्रत्येक माह का विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक वेतन विपत्र कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।


(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

- ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- iii) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए। यदि 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान लंबित हो तो इस संबंध में आवंटन का प्रस्ताव अलग से उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-09/2023 17 (7) व / स्वा0, राँची, दिनांक- 26.04.2023
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-09/2023 17 (7) व / स्वा0, राँची, दिनांक- 26.04.2023
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक आयुष, झारखण्ड, राँची/
संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100210131000101	61925000
2	संविदा भत्ता	20S22100210131000108	940000
3	छुट्टी यात्रा रियायत	20S22100210131000112	80000
4	देशीय यात्रा व्यय	20S22100210131000213	175000
5	कार्यालय व्यय	20S22100210131000315	640000
6	कार्यालय उपकरण	20S22100210131000317	880000
7	सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	20S22100210131000321	250000
8	आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100210131000323	880000
9	दूरभाष	20S22100210131000333	7500
10	विद्युत व्यय	20S22100210131000337	570000
11	जेनरेटर का ईंधन	20S22100210131000375	100000
12	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	20S22100210131000442	200000
		कुल	66647500

कुल: ₹ 6,66,47,500/- (छः करोड़ छियासठ लाख सैतालीस हजार पाँच सौ)।


(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

17 (7) व
26.04.2023

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्र.सं.	संस्थान/ जिला का नाम	वेतन	संविदा भत्ता	घुट्टी यात्रा रियायत	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	सेमिनार/ समारोह/ कार्यशाला	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	विद्युत व्यय	जेनेरेटर का ईंधन	मोटरसाईली ईंधन एवं परमिति	कुल योग
1	Bokaro	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
2	Chatra	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
3	Deoghar	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
4	Dhanbad	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
5	Dumka	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
6	Godda	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
7	Gumla	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
8	Giridih	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
9	Garhwa	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
10	Hazaribagh	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
11	Jamtara	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
12	Jamshedpur	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
13	Khunti	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
14	Koderma	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
15	Lohardaga	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
16	Latehar	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
17	Pakur	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
18	Palamu	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
19	Ramgarh	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
20	Ranchi	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
21	Sahebganj	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
22	Simdega	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
23	West Singhbhum	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
24	Sarakela	2477000	0	3200	6600	23600	34200	0	34200	0	19800	0	0	2598600
25	Directorate	2477000	150000	3200	6600	23600	34200	0	34200	7500	19800	100000	200000	3056100
26	State Yoga Center	61925000	940000	80000	175000	640000	880000	250000	880000	7500	570000	100000	200000	66647500

(अरुणकुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

17.04.2023
17.04.2023
(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

